न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चव्हेला (मीडर)

शिवराम v/s प्रभूदयाल वगैरह (T.I.) मु० नं० 22/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
04.09.18	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। प्रकरण में बहस वुकलाय उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। बरवक्त बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण में विवादग्रस्त मूल आराजी ख० नं० 445 तन ग्राम नरसिंहपुरा तहसील चव्हेला के 1/3 हिस्सा तक अप्रार्थी सं० 1 द्वारा निर्माण कार्य किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की तथा उक्त 1/3 हिस्सा से इतर यदि अप्रार्थी सं० 1 द्वारा निर्माण कार्य किया जावे तो बिना विधिक तकासमा करवाये एवं बिना कृषि से अकृषि भू रूपान्तरण करवाये अप्रार्थी सं० 1 द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण कार्य को प्रतिबंधित करते हुए तादौराने वाद फैसल अप्रार्थीगण के विरुद्ध T.I. Confirm करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी ने बरवक्त बहस निवेदन किया कि हस्तगत प्रा० पत्र टी० आई० से मूल वादपत्र जो संबंधित है, वो ही कानूनन चलने योग्य नहीं है। कानूनन किसी भी दावे का विचारण न्यायालय में चलने योग्य होने की प्रथम condition है कि विवादित आराजी के समस्त प्रभावित सह काश्तकारों को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रा०पत्र टी० आई० से संबंधित मूल वादपत्र व प्रा०पत्र टी० आई० में वादी/प्रार्थी स्वयं को खातेदार काश्तकार शंकर का दत्तक पुत्र बता कर दावा/T.I. पेश कर रहा है जबकि उक्त शंकर की तीन जायन्दा पुत्रियों को वादपत्र/T.I. में पक्षकार नहीं बनाकर आ रहा है तथा प्रार्थी के मृतक पिता हनुमान के भी तीन पुत्रियाँ है जिनको भी वादी/प्रार्थी वादपत्र/प्रा० पत्र में पक्षकार बनाकर नहीं आ रहा है। साथ ही प्रा०पत्र टी० आई० से संबंधित मूल वादपत्र में अनुतोष की मद सं० ए में

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
विवादित आराजी बाबत 1/12 हिस्सा की घोषणा किये जाने की Relief चाही गई है जबकि मूल दावा तकास्मा से संबंधित है। वादी / प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार रिकॉर्ड भी नही है। प्रतिवादी सं. 1 / अप्रार्थी सं. 1 विवादित आराजी का 1/12 हिस्सा का रेकॉर्ड खातेदार है तथा एक रेकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध गैर रेकॉर्ड खातेदार दावा लाने का अथवा स्थगनादेश प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र T.I. सव्यय खारिज फरमाया जावे। न्यायालय द्वारा पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभय पक्ष पर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त आराजी के समस्त प्रभावित सह काश्तकारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है जिससे प्रार्थी का Clean Hand से न्यायालय में नही आना साबित होता है। दूसरी ओर प्रार्थी विवादित आराजी का रेकॉर्ड खातेदार काश्तकार भी नही है जबकि अप्रार्थी सं. 1 विवादित आराजी का 1/12 हिस्सा का रेकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। रेकॉर्ड खातेदार काश्तकार के विरुद्ध गैर रेकॉर्ड खातेदार काश्तकार विधिक दृष्टि से न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का प्राकृतिक सिद्धान्तो (न्यायके) के आधार पर विधिक अधिकारी नही है। अतः उक्त तथ्यो के आलोक मे अस्थाई निषेधाज्ञा के सिद्धान्त कि	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कानून आगे नहीं चलने योग्य पाया जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 04-09-2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 4/9/18 भागीरथ शाख उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)